के परिवार वालों आपत्ति उठी का एक एवं
बच्चा प्रतिवादी श्री गोलाराम को सुपुर्द कर
दिया है ऐसी स्थिति में वैधक कार्यवाही की
उठी में अब उनका कोई एक दिया नहीं होने
से बाद उठी अन्तर परिवार राजीनामा किसी
के बाधित किया गया।

हमने उपपक्ष के कहने पर मनन किया
कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझौते एवं
लोक मालो से उचित शीघ्र राजीनामा हो गया है
तथा अपने वाद की कार्यवाही को आगे नहीं
चलाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में राजीनामा के
अन्तर पर अभिलेख में वादी का प्रार्थना पत्र शीघ्र
किया जाना उचित प्रतीत होता है

लिहाजा वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर वाद उठी अन्तर पर परिवार राजीनामा
विड़ो के बाधित किया जाता है
पक्षकारों को सुविधा हुआ शीघ्र कार्यवाही
करना है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:39 IST
Reason: SelfAttested